



न्यायालय, उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी, लातेहार।

राजसात वाद संख्या-119/2022

राज्य

बनाम्

तारा कुजूर

—: आदेश :—

28/11/22

वर्तमान वाद की प्रक्रिया जिला खनन पदाधिकारी, लातेहार के पत्रांक 1006/एम0 दिनांक 28.10.2022 से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर प्रारम्भ किया गया।

राज्य सरकार की ओर से जिला खनन पदाधिकारी, लातेहार द्वारा दाखिल दस्तावेज एवं विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता को सुना। अभिलेख का अवलोकन किया।

यह वाद महुआडांड थाना सन्हा संख्या-14/2022 दिनांक-25.10.2022 से संबंधित है। जिला खनन पदाधिकारी, लातेहार के द्वारा "The Jharkhand Minerals (Prevention of Illegal Mining, Transportation and Storage) Rules 2017" के नियम 11 के आलोक में जप्त ट्रैक्टर रजि0 नं0-JH19C-5318, Eng. No.- RKF4YBA4064, Chassis No-MBNAAAVAPKRF06325 को राजसात करने के लिए प्रतिवेदन दिया गया है।

विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि मिखाईल खलखो के नाम से सरकार द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास निर्माण हेतु बालू लाया जा रहा था। जान-बूझकर बालू का अवैध खनन नहीं किया गया है। प्रतिपक्षी का यह पहला अपराध है तथा प्रतिपक्षी यह वादा करती है कि भविष्य में अपने ट्रैक्टर से बालू लाने का कार्य नहीं करेंगे। साथ ही विपक्षी की तरफ से गांव के ही मिखाईल खलखो द्वारा कोर्ट में उपस्थित होकर बताया गया कि तारा कुजूर के ट्रैक्टर से प्रधानमंत्री आवास हेतु बालू ला रहे थे। प्रधानमंत्री आवास का Online Sanction Id- JH138143673 है।

राज्य की ओर से जिला खनन पदाधिकारी, लातेहार द्वारा दाखिल दस्तावेज में कहा गया है कि दिनांक 25.10.2022 को अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी, महुआडांड द्वारा दूरभाष के माध्यम से बालू खनिज के अवैध परिवहन संबंधी थाना प्रभारी महुआडांड थाना को प्राप्त सूचना के आधार पर

9/

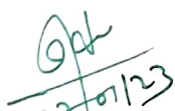
उसके रोकथाम हेतु थाना प्रभारी, महुआडांड थाना एवं सशस्त्र पुलिस बल द्वारा छापामारी के क्रम में बोहटा-चैनपुर मार्ग पर, बोहटा नदी की तरफ से आ रही महिन्द्रा ट्रैक्टर रजि० नं०-JH19C-5318 के ट्रॉली में लदे बालू खनिज का परिवहन करते हुए पाया गया। उक्त वाहन एवं उसमें लदे बालू खनिज के कागजात आदि के जांचोपरान्त ट्रैक्टर का कागजात पाया गया परन्तु बालू खनिज संबंधी कोई कागजात नहीं पाया गया। वाहन मालिक द्वारा थाना परिसर में उपस्थित होकर बालू खनिज संबंधी किसी भी प्रकार का कोई चालान थाना प्रभारी के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया। जिससे स्पष्ट होता है कि उक्त वाहन में लदा बालू खनिज का अवैध रूप से परिवहन किया जा रहा था। ट्रैक्टर वाहन के ट्रैलर में लदे अवैध बालू खनिज सहित वाहन को थाना प्रभारी, महुआडांड थाना द्वारा जप्त कर महुआडांड थाना परिसर में सुरक्षार्थ रखा गया है।

दोनों पक्षों के बहस सुनने एवं तथ्यों के समीक्षोपरांत यह स्पष्ट है कि बालू खनिज का परिवहन प्रधानमंत्री आवास निर्माण के लिए किया जा रहा था। विपक्षी का यह पहला अपराध है। वाहन का उपयोग नहीं होने पर आर्थिक क्षति होने की संभावना है।

अतः जप्त वाहन ट्रैक्टर रजि० नं०-JH19C-5318, Eng. No.-RKF4YBA4064, Chassis No-MBNAAAAPKRF06325 को मुक्त करने का आदेश दिया जाता है।

आदेश की प्रति जिला खनन पदाधिकारी, लातेहार एवं थाना प्रभारी, महुआडांड थाना को भेजें।

लिखाया एवं शुद्ध किया।


उपायुक्त,
लातेहार।


उपायुक्त,
लातेहार।